Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय [illegible]पुर [illegible]

जमाबंदी रद्द करने संबंधी वाद सं०- 249 / 2016–17

विषय :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई के संबंध में।

23/7/16

झारखण्ड सरकार के [illegible] दिनांक 10.05.2016 [illegible] प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक [illegible] 19/85/2008 [illegible] दिनांक [illegible] एवं [illegible] विभागीय परिपत्र [illegible] दिनांक [illegible] द्वारा निर्गत निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ आम भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच [illegible] के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि –

मौजा बड़ादहा थाना नं० 182 खाता सं० 62 प्लाट सं० प्लॉ. सं. 97 रकबा 3.31 एकड़ जो गैरमजरूआ [illegible] किस्म बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के [illegible] जमाबंदी रैयत [illegible] पि० [illegible] ग्रा० बड़ादहा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि को [illegible] जमाबंदी का संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध हुकुमनामा बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध [illegible] के आधार पर/[illegible] हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका [illegible] लाभ एवं [illegible] को [illegible] करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी के जमीन की संदिग्ध जमाबंदी अवैध तरीके होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनका कारण पृच्छा करें कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत [illegible] को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक .... को उपस्थापित करें।

[illegible] एवं संशोधित

23/7/16

अंचल अधिकारी
[illegible]पुर

अंचल अधिकारी
[illegible]पुर

9/8/16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद / दलील / खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो। अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती हैं अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धनबाद को भेजे। 9/8/16 अंचल अधिकारी, बलियापुर।	

अंचल अधिकारी के कार्यालय, [illegible]पुर

वाद अभिलेख संख्या—249/2016 (अन्तर्गत धारा–4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम्...

सकरन महतो, पि० जगू महतो,
सा० बड़ादहा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम बड़ादहा थाना नं०–182 खाता नं०–62 खेसरा नं०–— रकबा 3.31 एकड़ ...... जो आपके नाम से हल्का नं०–पाँच के पंजी–II भाग........ के पृष्ठ........ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 9/8/16 को समय–11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदें निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

स्मरण रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

अंचल अधिकारी
[illegible]पुर
1/8/16

तिथि:–

मुहर

स्थान:–

rosin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

मनसाराम महतो

नोटिस तामिला किया
चौ० नथ सपुन महतो
06/8/16